

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी आक्षेप/2017/
दिनांक :

आदेश

संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग के आदेश क्रमांक 2709-10 दिनांक 03.05.2017 के द्वारा पेंशन विभाग द्वारा लगाये गये आक्षेप के कारण निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/च.वे.श्रु./वो-11/2010/1488 दिनांक 13.09.2010 के द्वारा क्र.सं. 1 पर अंकित श्री हरचन्द्रराम लिपिक ग्रेड-प्रथम,(से.नि.) नागौर का 18 वर्षीय चयनित वेतनमान निरस्त करते हुए निम्न प्रकार 27 वर्षीय एसीपी स्वीकृत किया जाता है :-

प्र.नि.ति.	पूर्ण सेवा अवधि	एसीपी स्वीकृत तिथि	पे बेंड	ग्रेड पे
21.10.1981 (वार्ड बॉय)	27 वर्ष	21.10.2009	5200-20200	2800


नोट:-कर्मचारी को निदेशालय के आदेश क्रमांक 1710 दिनांक 24.06.2006 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण दिनांक 21.10.2008 के स्थान पर 21.10.2009 से स्वीकृत किया जाता है।

57
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर
दिनांक : 20/06/17

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी आक्षेप/2017/1334

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को उनके पत्रांक 3558 दिनांक 19.05.2007 को भेजकर लेख है कि नियमानुसार अधिक भुगतान की वसूली कर निम्नहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु0 स्वा0 केन्द्र, खीवसर, नागौर।
3. श्री हरचन्द्रराम लिपिक ग्रेड-प्रथम(से.नि.), नागौर को सूचनार्थ।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।


अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर